कोटा में आवश्यक सेवाएं दोपहर एक बजे तक, प्रभारी सचिव ने की समीक्षा

कोटा। कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने की दिशा में कोटा शहर में अनुमत आवश्यक सेवाओं की दुकानें 22 अप्रैल से प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक खुलेंगी। जिला कलेक्टर उज्ज्वल राठौर ने आज जारी आदेश में स्पस्ट किया कि खाद्य पदार्थ एवं किराना का सामान, मंडिया, फल/ सब्जियां, डेयरी, दूध, पशु चारा से संबंधित खुदरा और थोक दुकानें प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोली जा सकेंगी, ताकि 1 से 2 बजे तक दुकानदार अपना प्रतिष्ठान बंद कर अपने घर जा सके। जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाए। दूध आपूर्तिकर्ता प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा साँय 5 से रात्रि 8 बजे तक घर घर दूध की आपूर्ति कर सकेंगे। इसी प्रकार शराब की दुकान है प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। सब्जियां एवं फलों के ठेले, साइकिल, रिक्शा ऑटो, रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक विक्रय किया जा सकेगा। ताकि 2 बजे तक अपने घर जा सके। इन आदेशों के उलंघन एवं मास्क नहीं लगाने पर कार्यवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उधर प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जिला प्रभारी सचिव राजेश कुमार यादव की अध्यक्षता में टेगोर हॉल में आयोजित बैठक में स्थिति एवं की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा कर कहा कि आक्सीजन निर्माता एजेन्सी में आक्सीजन निर्माण एवं सप्लाई सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा संस्थाओं की करने हेतु पाबंद किया जाये। उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थाओं के अलावा आक्सीजन सप्लाई नहीं करें इसकी प्रभावी रूप से प्रतिदिन मॉनीटरिंग भी की जाये।चिकित्सक एवं नर्सिंगकर्मी व स्टॉफ की पहचान पत्र की डोरी के अलग-अलग रंगों के आधार पर उनकी पहचान सुनिश्चित करें जिससे मरीज आसानी से उन्हें पहचान सकें।

जिला कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने बताया कि जिले में 45 वर्ष से अधिक नागरिकों को अभी तक जिले में 55 प्रतिशन टीकाकरण किया जा चुका हैं। उन्होंने ने कोरोना रोकथाम हेतु जिले में किये जा प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि जिल में टीकाकरण का कार्य निरंतर रूप से जारी है। जिले में कोरोना के बढते हुए मामलों को देखते हुए प्रशासन ने विभिन्न निजी चिकित्सालयों को अधिग्रहित कर संबंधित चिकित्सालय के स्टॉफ को कोविड-19 के मरीजों को इलाज करने हेतु पाबंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जिले में आक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से हो इसके लिए अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों के साथ निजी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से टीम भावन के रूप में कार्य करने एवं कोरोना को हराने में सक्रिय सहयोग करने का आव्हान एवं निर्देश भी प्रदान किये गये हैं और सभी ने प्रशासन पूर्ण सहयोग के लिए आश्वस्त किया है।

बैठक में प्रशिक्षु आईएएस मृदुल सिंह, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शरद चौधरी, अतिरिक्त कलक्टर शहर आरडी मीणा, सिलिंग सत्यनारायण आमेठा, आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर वासुदेव मालावत, सचिव

यूआईटी राजेश जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय राजेश मील, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ.चन्द्रशेखर सुशील, डॉ नीलेश जैन विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।